राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा(08)/16/275 दिनांक: 27-06-16

कार्यालय–आदेश

निगम बसों में विभिन्न मार्गो पर संचालित मंजिली वाहनों (Stage Carriage) में दैनिक यात्रा (आना–जाना) करने वाले यात्रियों के लिये इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ–4/मु0/याता/लेखा(08)/2012/1227 दिनांक 31.12.12 से मासिक पास की नई योजना लागू की गई थी जिसे कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा (08)/16/ 135 दिनांक 28.3.2016 द्वारा दिनांक 30.06.16 तक वृद्धिकृत किया गया था।

प्रभावी मासिक यात्रा पास योजना के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–4/मु. /याता/लेखा/(08)/ 2012 /1227 दिनांक 31.12.2012 से 26 दिवस एवं 30 दिवस के मासिक यात्रा पास जारी करने की व्यवस्था की गई थी । इस व्यवस्था को समाप्त करते हुऐ केवल 30 दिवस के मासिक यात्रा पास की व्यवस्था नियमानुसार की जाती है :–

क.सं.	मासिक यात्रा पास की अवधि	देय छूट
1.	एक माह, दो माह, व तीन माह	50 प्रतिशत

मासिक यात्रा पास जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया तथा शेष नियम व शर्ते पूर्ववत/यथावत रहेगी । उक्त मासिक यात्रा पास की नई व्यवस्था दिनांक 01 जुलाई 2016 से 31.मार्च 2017 तक प्रभावी होगी ।

यह आदेश वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किए जा रहे है ।

27.6.16

(सोहन लाल धानका)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक .एफ–4/मु./याता/लेखा(08)/16/275 दिनांक: 27-6-16
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, राज0परि0निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ,....................राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त/उप महा प्रबन्धक,..................राज.परि.निगम.मुख्यालय.जयपुर ।
4. कार्यकारी प्रबंधक (निरीक्षण/याता.) राजस्थान परिवहन निगम. मुख्यालय, जयपुर।
5. उप महा प्रबंधक (आई.टी) रा.प.नि, को प्रेषित कर निर्देशित किया ज़ाता है कि इस आदेश को निगम वेव साईट पर उपलब्ध कराने एवं सभी संबंधितों को ई–मेल की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा उक्त मासिक यात्रा पास व्यवस्था को दि. 31.3.2017 तक प्रभावी किया जावें।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
7. लेखाधिकारी (बजट) राज0 परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. मुख्य प्रबंधक, राज.परि.निगम ....आगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मासिक यात्रा पास व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार करें एवं राजस्व वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास करें।
9. आदेश पत्रावली।

27/6/16

(नरेन्द्र सिंह चौधरी)
कार्यकारी प्रबंधक (यातायात)